





राजस्थान विडार्ड का अपलोकन किया गया, इलाका  
 618 दिनांक 5.7.78 द्वारा श्री बेना लाल गुजर  
 मीवाली साथ बख्तपुरा द्वारा रामा पुत्र रघुनाथ खारोल  
 के हक में किया प्र क्रियन किया था, जिसका  
 नाव सं. 10 दिनांक 27.12.74 रामा पुत्र रघुनाथ  
 खारोल के नाम स्थिर है किन्तु जमावटी सं. 2070-73  
 के खाता सं. नया - पुराना 42-36 में खारोल की  
 जाति खारोल के स्थान पर रामा पुत्र लाल गुजर  
 का ही गई। अतः रामा पुत्र लाल गुजर के  
 स्थान पर खारोल किये जाने कादेशा राज  
 नू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के  
 तहत सिद्ध होते हैं तदनुसार राजस्थान विडार्ड  
 के अयल दायद करने व वादी गण को खारोल  
 में अंकन करने हेतु धारा 52 व 209 RAAR  
 के तहत क्रि विचार जारी है, अर्था  
 क्रिकेन अपना अपना कहन करे।

विधिय मजमे आम अदल  
 सेना केन्द्र रावप्राली मजमे आम से  
 सुनाया गया।

  
 लोक अदालत शिविर  
 सवाई (अजमेर)

67  
  
 लोक अदालत शिविर  
 सवाई (अजमेर)